न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2021-040 (GCMS 2021-106)

1. अनोपीदेवी पत्नी जीवनराम जाति भील
   निवासी मोखेरी, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
2. अमीन खां पुत्र बाजे खां जाति मुसलमान
   निवासी पागियों की ढाणी, खींचन
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
3. मगसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत
   निवासी एका भाटीयान, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. खिंवणीदेवी पत्नी द्वारकादास
2. जगदीश पुत्र मेगराज
3. पुष्पादेवी पत्नी हेमराज
   सभी जाति पालीवाल, निवासी मोखेरी,
   तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
4. तहसीलदार फलोदी
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 09 मार्च 2021 राजस्व मूल वाद संख्या 64/2011 अनवान खिंवणीदेवी व अन्य बनाम अनोपीदेवी इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 21 जुलाई 2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/2011 अनवान खिवणीदेवी व अन्य बनाम अनोपीदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09 मार्च 2021 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 15 मार्च 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद ग्राम मोखेरी तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 142 में से स्वयं द्वारा अलग-अलग बेचाननामों के जरिये कयशुदा कुल 57 बीघा 12 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 09 मार्च 2021 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर संवत 2012 से अपीलाण्ट के श्वसुर बुलाराम का निर्बाध कब्जा काश्त रहा है, मेगराज को आम-मुख्त्यारनामा का वादग्रस्त आराजी का बेचान अपीलाण्ट्स के पक्ष में किये जाने हेतु दिया गया, मगर मेगराज द्वारा तदनीयतिपूर्वक अपने रिश्तेदारान के पक्ष में बेचान कर दिया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जोर देकर कथन किया कि मेगराज के पक्ष में निष्पादित आम-मुख्त्यारनामा में साफ तौर से कब्जा नहीं दिया जाना अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में मेगराज को स्वयं द्वारा बहैसियत आम-मुख्त्यार वादग्रस्त आराजी के किये गये बेचान के कम में कब्जा केतागण को सुपुर्द करने का अधिकार नहीं था। अतः भौतिक कब्जे का केतागण के पक्ष में अंतरण के अभाव में उक्त बेचान संव्यवहार विधि द्वारा मान्य नहीं है। कब्जे के अभाव में किसी भी केता/हस्तान्तरिती को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते है, अतः ऐसे स्थिति में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा भी नहीं की जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सकती है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि बुलाराम के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी पर जीवनराम का कब्जा काश्त रहा है, जीवनराम के पक्ष में मात्र कानून से संबंधित तकनीकी पेचिदगियां दूर करने हेतु आम-मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया जिसके आधार पर किये गये बेचान के तहत मौके पर कब्जा सुपुर्द किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया गया। बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से दिनांक 09 मार्च 2021 को बहस हेतु समय चाहा गया और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 18 सीपीसी भी पेश किया गया, मगर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत कोई निस्तारण किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 2019 (3) सुप्रीम कोर्ट केसेज 692 एवं 2011(2) आरआरटी 1170 की नजीरें प्रस्तुत की।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 142 रकबा 66 बीघा 12 बिस्वा बारानी सोयम वक्त सेटलमेण्ट संवत 2012 में पैमाइश होकर नैनी पत्नी गोपीलाल जाति पालीवाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। कालान्तर में उक्त भूमि का कुछ हिस्सा सडक निकलने में प्रयुक्त होने के बाद बकाया रकबा 57 बीघा 12 खातेदार नैनी पत्नी गोपीलाल पालीवाल के नाम दर्ज रहा। नैनी का देहान्त होने पर यह भूमि उसकी एकमात्र पुत्री गंगा के नाम दर्ज हुई। दिनांक 30 जून 1999 को गंगा द्वारा मेघराज के पक्ष में मुख्तयारनामा निष्पादित किया गया, जिसके आधार पर मेघराज पुत्र बुधरदास द्वारा मुख्तयार खास की हैसियत से तीन अलग-अलग पंजीबद्ध विकय विलेख कमशः खींवणीदेवी पत्नी द्वारकादास पालीवाल के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 30 जुलाई 1999 (प्रदर्श-7ए), जगदीश पुत्र मेघराज जाति पालीवाल के पक्ष में पंजीबद्ध विकय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विलेख दिनांक 29 जुलाई 1999 (प्रदर्श-6ए), एवं पुष्पादेवी पत्नी हेमराज पालीवाल के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 28 जुलाई 1999 (प्रदर्श-8ए), निष्पादित किये गये। इस प्रकार उक्त पंजीबद्ध विकय विलेखों से वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन को वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदारी अधिकार अर्जित हुए और वक्त खरीद से वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन अपनी कयशुदा भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु उक्त विकय पत्रों के संबंध में जीवणराम पुत्र बुलाराम भील द्वारा खातेदार गंगा के आम-मुख्तयार की हैसियत से उप-पंजीयक फलोदी के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 188 के तहत उसकी तरफ से दावा विचाराधीन होने (जबकि दावा उसके बजाय सरादीन की ओर से था) एवं उसका कब्जा होने को लेकर म्युटेशन बाबत एतराज किया, जिसके आधार पर उक्त विकय पत्रों पर नोट अंकित किये गये और जीवणराम द्वारा अपने अनुचित प्रभाव का उपयोग कर उक्त विकय पत्रों के अनुसरण में खोले गये म्युटेशन को खारिज करवा दिया गया। इसके बाद गंगा पत्नी जीवराज के इन्द्रियों की अवस्था में नहीं होने की दशा में दिनांक 14 मार्च 2011 को गलत एवं पोशिदा तौर पर अपने नाम गलत एवं गैरकानूनी मुख्तयारनामा लिखवा लिया और उसके आधार पर गंगा के मुख्तयार की हैसियत से वादग्रस्त भूमि में से 36 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बेचान प्रतिवादिनी-अपीलाण्ट संख्या एक अनोपी के पक्ष में, 10 बीघा भूमि प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या दो अमीन खां तथा 11 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या तीन मगसिंह के पक्ष में दिनांक 18 मार्च 2011 को किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि बाबत पूर्व में दिनांक 28 जुलाई 1999, 29 जुलाई.1999 एवं 30 जुलाई 1999 को वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन के पक्ष में किये गये बेचान के बाद वादग्रस्त आराजी बाबत गंगा पत्नी जीवराज का कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जीवणराम के पक्ष में निष्पादित मुख्तयारनामा एवं उसकी बिनाय पर दिनांक 18 मार्च 2011 को किये गये उक्त तीनों पश्चातवर्ती बेचान शून्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रभावी है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि म्युटेशन की कार्यवाही मात्र एक फिस्कल कार्यवाही है जिसके कारण खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। 2009-10 (पूरक) आरआरटी 511 (सर्वोच्च न्यायालय) उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि प्रथम निष्पादित विकय पत्र अनुवर्ती विकयपत्र पर अभिभावी होता है। ऐसी स्थिति में दिनांक 18 मार्च 2011 को किये गये उक्त तीनों पश्चातवर्ती बेचान के आधार पर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से तीन को वादग्रस्त आराजी बाबत कोई हक एवं अधिकार अर्जित नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख तथा प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। दावे एवं प्रस्तुत जबाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी-

1. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि के प्रथम केता और प्रतिवादीगण द्वितीय केता है? वादीगण अपने विकय विलेख के माफिक वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार है?..... जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 28 जुलाई 1999 से वादीगण को प्राप्त खातेदारी हकूकों के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध द्वितीय विकय विलेख दिनांक 18 मार्च 2011 कानूनन शून्य तथा प्रभावहीन है एवं प्रतिवादी के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त योग्य है? ..... जिम्मे वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि की स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाने के हकदार है? ..... जिम्मे वादीगण
4. आया प्रतिवादिनी संख्या एक के ससुर का संवत 2012 के पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त से वादीगण के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा होने से प्रतिवादिनी संख्या एक वादग्रस्त भूमि की खातेदार है? ..... जिम्मे प्रतिवादिनी संख्या एक
5. आया खातेदार नैनी ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादिनी संख्या एक के ससुर को दान में भेंट कर दी थी? ..... जिम्मे प्रतिवादिनी संख्या एक
6. आया प्रतिवादीगण के पक्ष में करवाये गये विकय विलेख सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वादीगण का वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है? ..... जिम्मे प्रतिवादीगण
7. आया खातेदार गंगा के मुख्तयार मेघराज ने बिना प्रतिफल वादग्रस्त भूमि वादीगण को विकय करने से प्रथम विकय पत्र प्रतिवादीगण के हितों के विरुद्ध प्रभावहीन है? ..... जिम्मे प्रतिवादीगण
8. आया वाद मियाद बाहर है? ..... जिम्मे प्रतिवादीगण
9. आया वाद में कोई व्यवहारकरण प्रकट नहीं होने से चलने योग्य नहीं है? ..... जिम्मे प्रतिवादीगण
10. आया वाद में भू प्रबंध के समय रही खातेदार नैनी की वारिस गंगा को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने के काबिल नहीं है? ..... जिम्मे प्रतिवादीगण
11. दादरसी?

उक्त तनकियात में से तनकी संख्या 7 मियाद के संबंध में कानूनी तनकी है और धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संदर्भ में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उक्त तनकी का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा वादी-रेस्पो. के पक्ष में पारित किया गया है जिससे अदालत हाजा सहमत है। अतः उक्त तनकी बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

इसी प्रकार तनकी संख्या नौ (आया वाद में कोई व्यवहारकरण प्रकट नहीं होने से चलने योग्य नहीं है?) विधि एवं तथ्यों से संबंधित मिश्रित तनकी है। वादीगण-रेस्पो. द्वारा अपने वादपत्र में दिनांक 14 मार्च 2011 को उत्पन्न होना जाहिर किया गया है, जो वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में वर्ष 1999 में निष्पादित विकय पत्रों के आधार पर दिनांक 8 मार्च 2011 को खोले गये म्युटेशन संख्या 1431 को सरपंच ग्राम मौखेरी द्वारा दिनंक 14 मार्च 2011 को खारिज किये जाने के तथ्य के परिप्रेक्ष्य में उचित मानते हुए तनकी संख्या 9 का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण-रेस्पो. के हक में किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाने का औचित्य नजर नहीं आता है।

तनकी संख्या दस (आया वाद में भू प्रबंध के समय रही खातेदार नैनी की वारिस गंगा को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में चलने के काबिल नहीं है?) भी विधि एवं तथ्यों से संबंधित मिश्रित तनकी है, जो वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिये जाने के बाद पूर्व खातेदार गंगा का कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं होना मानते हुए वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन के पक्ष में निर्णित की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा इस तनकी संख्या 10 बाबत पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

बकाया तनकियात के अवलोकन मात्र से विदित होता है कि तनकी संख्या तनकी संख्या दो (आया वादीगण के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 28 जुलाई 1999 से वादीगण को प्राप्त खातेदारी हकूकों के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध द्वितीय विकय विलेख दिनांक 18 मार्च 2011 कानूनन शून्य तथा प्रभावहीन है एवं प्रतिवादी के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त योग्य है?), तनकी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तीन (आया वादीगण वादग्रस्त भूमि की स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करवाने के हकदार है?) एवं तनकी संख्या छः (आया प्रतिवादीगण के पक्ष में करवाये गये विकय विलेख सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वादीगण का वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं है?) मूलतः तनकी संख्या एक (आया वादीगण वादग्रस्त भूमि के प्रथम केता और प्रतिवादीगण द्वितीय केता है? वादीगण अपने विकय विलेख के माफिक वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार है?) एवं तनकी संख्या सात (आया खातेदार गंगा के मुख्तयार मेघराज ने बिना प्रतिफल वादग्रस्त भूमि वादीगण को विकय करने से प्रथम विकय पत्र प्रतिवादीगण के हितों के विरुद्ध प्रभावहीन है?) पर अवलम्बित है अर्थात तनकी संख्या एक व तनकी संख्या 7 बाबत पारित निष्कर्ष के आधार पर इन तनकी संख्या 2, 3 व 6 का निष्कर्ष निर्भर करता है।

तनकी संख्या एक एवं सात, दोनों ही खातेदार गंगा के मुख्तयार-खास की हैसियत से मेघराज पुत्र बुधरदास द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन के पक्ष में किये गये विकय संव्यवहारों की पूर्णता एवं प्रभाव के संबंध में कायम की गयी है, किन्तु संबंधित मुख्तयारनामा दिनांक 30 जून 1999 (प्रदर्श-9ए विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 86-87) जो उक्त मेघराज पुत्र बुधरदास के पक्ष में निष्पादित किया गया, उसमें द्वितीय पेज पर अंकित वाक्यांश "... इसलिए यह मुख्तयारनामा खास आपके पक्ष में लिख रही हूँ मैने मेरी काश्त भूमि का भौतिक कब्जा आपकों नहीं दिया है ..." का उक्त बेचाननामों पर होने वाले प्रभाव बाबत कोई तनकी कायम नहीं गयी है।

.विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि आलौच्य मामलें में श्रीमती गंगा पत्नी जीवराज द्वारा एक मुख्तयारनामा दिनांक 30 जून 1999 (प्रदर्श-9ए विचारण न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्रावली में पेज 86-87) को मेघराज पुत्र बुधरदास के पक्ष में निष्पादित किया गया, जिसमें द्वितीय पेज पर स्पष्ट तौर पर "... इसलिए यह मुख्तयारनामा खास आपके पक्ष में लिख रही हूँ मैने मेरी काश्त भूमि का भौतिक कब्जा आपकों नहीं दिया है ..." अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त मुख्तयारनामा के आधार पर मेघराज पुत्र बुधरदास द्वारा मुख्तयार खास की हैसियत से खींवणीदेवी पत्नी द्वारकादास पालीवाल के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 30 जुलाई 1999 (प्रदर्श-7ए), जगदीश पुत्र मेघराज जाति पालीवाल के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 29 जुलाई 1999 (प्रदर्श-6ए), एवं पुष्पादेवी पत्नी हेमराज पालीवाल के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 28 जुलाई 1999 (प्रदर्श-8ए), निष्पादित किये गये, जिनमें मौके पर कब्जा केता को सुपुर्द कर दिये जाने का उल्लेख किया गया है। मगर जब मुख्तयार-खास मेघराज पुत्र बुधरदास स्वयं को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था, तो आगे उसके द्वारा केतागण को कब्जा किस प्रकार सुपुर्द किया जाना विचारणीय है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मेघराज द्वारा मुख्तयार खास की हैसियत से किये गये उक्त बेचान के अनुकम में श्रीमती गंगा द्वारा केतागण को कब्जा सुपुर्द किया जाना भी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। उल्लेखनीय विकय से संबंधित अधिनियम के प्रावधानानुसार बेचान की गयी सम्पत्ति का साधिकार भौतिक कब्जा केता को सुपुर्द किया जाना किसी विकय संव्यवहार का अनिवार्य तत्व होता है जिसके अभाव में किया गया विकय संव्यवहार विधिक व पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस कथन में सार नजर आता है कि मुख्तयारनामा खास दिनांक 30 जून 1999 के आधार पर मेघराज पुत्र बुधरराम द्वारा निष्पादित उक्त बेचाननामा भौतिक कब्जा सुपुर्दगी के अभाव में विधिसम्मतः एवं परिपूर्ण नहीं होने से केतागण को कोई अधिकार कयशुदा भूमि बाबत अर्जित नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा इन पंजीबद्ध विकय विलेखों के संबंध में कायम तनकी संख्या एक (आया वादीगण वादग्रस्त भूमि के प्रथम केता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

और प्रतिवादीगण द्वितीय केता है? वादीगण अपने विकय विलेख के माफिक वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार है?) का निस्तारण वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में किया गया। मगर कब्जा सुपुर्दगी के संबंध में अलग से तनकी कायम की जाकर अथवा इसी तनकी में साक्ष्य सबूत के आधार पर कोई विवेचन कर निष्कर्ष पारित नहीं किया गया है। इस कारण उक्त तनकी बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं पाया जाता है। वस्तुत वस्तुतः मेघराज द्वारा मुख्तयार खास की हैसियत से किये गये उक्त बेचाननामों के अनुकम में भौतिक कब्जा सुपुर्दगी के संबंध में अतिरिक्त तनकी कायम की जाकर पक्षकारान की पुनः साक्ष्य सुनवाई कर समुचित विवेचन कर पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या एक व सात का पुनः निस्तारण कर इन पर अवलम्बित तनकी संख्या दो, तीन व छः का बाबत पुनः निष्कर्ष पारित किये जाने की आवश्यकता है।

जो नजीर अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से है। 2009-10 (पूरक) आरआरटी 511 (सर्वोच्च न्यायालय) उद्धरित की गयी है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि प्रथम निष्पादित विकय पत्र अनुवर्ती विकयपत्र पर अभिभावी होता है। अदालत हाजा उक्त नजीर का पूर्ण सम्मान करती है किन्तु उक्त नजीर से संबंधित प्रकरण में पूर्ववर्ती बेचान के संबंध में कब्जा सुपुर्दगी का बिन्दु विवादित नहीं रहा है, जबकि आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजी की खातेदार गंगा द्वारा निष्पादित मुख्तयारनामा में कब्जा सुपुर्द नहीं किये जाने का तथ्य स्पष्ट वर्णित है। अतः उक्त मुख्तयारनामा के आधार पर किये गये पूर्ववर्ती बेचान संव्यवहारों के संबंध में कब्जा सुपुर्दगी के तथ्य बाबत वस्तुस्थिति का स्पष्ट होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

तनकी संख्या चार (आया प्रतिवादिनी संख्या एक के ससुर का संवत 2012 के पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त से वादीगण के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा होने से प्रतिवादिनी संख्या एक वादग्रस्त भूमि की खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है?) एवं तनकी संख्या पांच (आया खातेदार नैनी ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादिनी संख्या एक के ससुर को दान में भेंट कर दी थी?) बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष विधिसम्मतः पाये जाने से यथावत रखे जाते है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 09 मार्च 2021 अपास्त किये जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि -

1. वादग्रस्त आराजी की खातेदार गंगा के मुख्तयार-खास की हैसियत से मेघराज पुत्र बुधरदास द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन के पक्ष में किये गये विकय संव्यवहारों की पूर्णता एवं प्रभाव के संबंध में संबंधित मुख्तयारनामा दिनांक 30 जून 1999 (प्रदर्श-9ए विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 86-87) के द्वितीय पेज पर अंकित वाक्यांश "... इसलिए यह मुख्तयारनामा खास आपके पक्ष में लिख रही हूँ मैने मेरी काश्त भूमि का भौतिक कब्जा आपकों नहीं दिया है ..." को ध्यान में रखते हुए बरवक्त बेचान केतागण को भूमि का भौतिक कब्जा दिये जाने बाबत अतिरिक्त तनकी कायम की जावे और इस नवीन तनकी के संबंध में पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर विधिक एवं तथ्यात्मक वस्तुस्थिति बाबत समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष पारित किया जावे।
2. उक्त अतिरिक्त तनकी बाबत पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या एक व सात एवं इन पर अवलम्बित तनकी संख्या दो, तीन व छः बाबत पुनः विवेचन कर निष्कर्ष पारित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3. तदनुसार पारित नवीन निष्कर्षो के अनुरूप मूल वाद का न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर